

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र

भारत सरकार,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

टेलिफोन: 022-28294722, फ़ैक्स: 28291754

सं.सीपज़/न्यूसेज़/ओएसएमपी/233/2015-16/वॉल्यूम-III

दिनांक: 14.7.2015

सार्वजनिक सूचना सं. ०८ /2015

विषय: सेज़ ऑन सिस्टम में एमईआइएस का लाभ उठाने के पात्र यूनितों के लिए "मर्चन्डाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम" सेलेक्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

वर्ष 2015-2020 की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत "मर्चन्डाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम" की लागू की गई जो उसमें विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में सेज़ यूनितों पर लागू है। हैडबुक ऑफ प्रोसिजर के अनुसार, शिपिंग बिलों की ऐसी कोटियों के अंतर्गत फाइल किए गए एक्सपोर्ट शिपमेंट्स (जहां यूनित एमईआइएस लाभ का दावा करना चाहते हों) के लिए यह घोषणा प्रस्तुत करनी आवश्यक है, "हम एमईआइएस के लाभ का दावा करने का पात्र बनने के लिए शिपिंग बिलों पर मर्चन्डाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम" के अंतर्गत पुरस्कार के लिए दावा करना चाहते हैं। तदनुसार एनएसडीएल ने चेक बॉक्स में यह चुनने का ऑप्शन उपलब्ध कराया है" हम शिपिंग बिल स्क्रीन के जरिए एमईआइएस एलिकेशन का लाभ उठाने के लिए "मर्चन्डाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम" निर्यात (एमईआइएस) के अंतर्गत पुरस्कार के लिए दावा करना चाहते हैं।" कृपया शिपिंग बिल एलिकेशन के अंतर्गत सामान्य ब्याँरा पेज देखें।

यूनितों से अनुरोध है कि वे सेज़ ऑनलाइन सिस्टम में उपलब्ध कराया गया उपर्युक्त ऑप्शन नोट करें।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी.एस.रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि:-

- (i) विकास आयुक्त, सीपज़ सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ यूनित।
- (ii) विकास आयुक्त, सीपज़ सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी।
- (iii) वेबसाइट।